

दैनिक

# पुष्पांजली टुडे

नई सोच नई पहल



वर्ष 03, अंक 254

ग्वालियर, शुक्रवार 18 सितम्बर 2020

pushpanjalitoday@gmail.com

मूल्य 01, रुपए, पृष्ठ 8

## न्यूज़ ट्रेक

### यूपी: बरेली में हिंदू युवा वाहिनी नेता की चाकू से गोदकर हत्या, पांच हिरासत में बरेली।

बरेली। बरेली जिले में बुधवार रात हॉस्पिटल मालिक और हिंदू युवा वाहिनी नेता की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। सुबह हॉस्पिटल स्टाफ ने हत्या की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम के साथ ही एसएसपी, एसपी देहात, सीओ भी मौके पर पहुंचे गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हत्या के मामले में पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हिंदू युवा वाहिनी नेता संजय सिंह मीराज के आनंदपुर गांव के रहने वाले थे। संजय सिंह शाही क्षेत्र के दुनका पुलिस चौकी के पास हॉस्पिटल संचालित कर रहे थे। बुधवार रात वह हॉस्पिटल कैम्पस में ही थे। रात में उनकी हत्या कर दी गई। सुबह स्टाफ ने पुलिस को हत्या की सूचना दी। जिसके बाद एसएसपी, एसपी देहात और सीओ मौके पर पहुंच गए। पुलिस मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस पूछताछ के लिए हॉस्पिटल के पांच स्टाफ पुलिस हिरासत में लिया है। एक स्टाफ फरार हो गया है।

### दिल्ली विधानसभा अल्पसंख्यक समिति का आरोप, दंगों से संबंधित मामलों में एफआईआर की कॉपियां नहीं दे रही पुलिस


नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा की अल्पसंख्यक समिति ने बुधवार को दिल्ली पुलिस पर नाराजी जताते हुए कहा कि वह उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एफआईआर की कॉपियां उपलब्ध नहीं करा रही है। समिति ने इस मामले में गृह सचिव को दिल्ली पुलिस से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही समिति ने दंगों पीड़ितों के मुआवजे के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा की। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, आम आदमी पार्टी के विधायक और समिति के अध्यक्ष अमनतुल्लाह खान ने दिल्ली सरकार के गृह सचिव को इस मुद्दे पर दिल्ली पुलिस से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया है। बयान में कहा गया है कि बैटल में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था कि दिल्ली पुलिस दंगों से संबंधित एफआईआर की कॉपियां विधानसभा की समिति को उपलब्ध नहीं करा रही है। समिति ने तीन दंगा पीड़ितों को अपने बयान दर्ज करने के लिए भी बुलाया। बयान में कहा गया कि दो महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनके घरों को लूट लिया गया, जबकि एक गवाह ने दावा किया कि उनके भाई को दंगों में मार दिया गया था, लेकिन पुलिस ने इन तीन मामलों में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। उन मामलों में, जहां कथित रूप से मुआवजा वास्तविक नुकसान से कम था बैटल में उन पर भी चर्चा की गई और अमनतुल्लाह खान ने अधिकारियों को ऐसे सभी मामलों पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।

### शादीशुदा महिला को भगाने की फितक में था शिक्षक, परिवारवालों ने किया बुरा हाल

बाडमेर। राजस्थान के बाडमेर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। स्कूल शिक्षक नूर मोहम्मद पर विवाहिता को भगाने के आरोप के बाद विवाहिता के परिजनों ने जानलेवा हमला करते हुए नाक और कान काट कर उसे घायल कर दिया। शिक्षक को गंभीर हालत में गुजरात रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल, राजस्थान के बाडमेर जिले के गुडमालानो उपखंड के आरजीटी थाना क्षेत्र के भटाला गांव के निवासी 48 वर्षीय शिक्षक नूर मोहम्मद पर गांव की विवाहिता को भगाने का कुछ समय पहले आरोप लगा था। इस बात से खफा विवाहिता के परिजनों ने शिक्षक नूर मोहम्मद पर हमला कर न सिर्फ नाक और कान काट दिए, बल्कि मारपीट कर गंभीर घायल कर दिया।

## केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एम्स से मिली छुट्टी, स्वस्थ होकर घर लौटे खजाना खोजने में हुई 2 लोगों की अंधे कत्ल की गुत्थी का खुलासा

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गुरुवार शाम दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से छुट्टी मिल गई। अब वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अमित शाह को शनिवार रात करीब 11 बजे दोबारा से एम्स में भर्ती कराया गया था। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की अगुवाई वाली टीम अमित शाह की देखरेख में लगी हुई थी।



जानकारी के अनुसार, पिछले महीने भी गृहमंत्री कोरोना के बाद पोस्ट कोविड केयर के लिए एम्स में भर्ती हुए थे। इसके बाद 12 दिन बाद उन्हें 30 अगस्त को एम्स से छुट्टी मिल गई थी, लेकिन 13 सितंबर को उन्हें फिर से पूर्ण चिकित्सा

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि टेलीविजन चैनल्स व्यापक दर्शक हैं। हलफनामे में आगे कहा गया, कोर्ट को और आगे गाइडलाइन्स नहीं बनानी चाहिए...

### केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट से अपील, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करने से करं परहेज

जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करने के लिए किसी तरह के कदम से उठाने से परहेज करें, क्योंकि इसको लेकर पहले से कानून है। यह कानून संसद और सुप्रीम कोर्ट के अतीत में दिए फैसलों से तैयार किया गया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दायर हलफनामे में केन्द्र ने कहा कि इसके लिए किसी तरह की गाइडलाइन्स की आवश्यकता नहीं है। यदि यह किसी के लिए जरूरत है तो वो है सबसे पहले डिजिटल मीडिया जैसे- वेब पोर्टल्स, यूट्यूब चैनल्स आदि। केन्द्र ने दावा किया कि मुख्य धारा के मीडिया के मुकाबले इसकी कहीं ज्यादा पहुंच और

अगर वे यह कदम उठाना ही चाहते हैं तो सबसे पहले डिजिटल मीडिया को लेकर करना चाहिए, क्योंकि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर पहले से ही पर्याप्त फ्रेमवर्क और न्यायिक फैसले हैं। यह हलफनामा सुदर्शन न्यूज चैनल की तरफ से सिविल सर्विसेज में मुस्लिमों के प्रवेश पर प्रसारित कार्यक्रम बिदास बोल को लेकर दायर किया गया था। 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विवाद कार्यक्रम के आगे के प्रसारण पर रोक लगा दी गई थी। इसके साथ ही, पहले के चार एपिसोड में जिस तरह के कंटेंट का प्रसारण किया गया, उसको लेकर

इससे पहले, केन्द्र ने पत्रकारिता की स्वतंत्रता की हिमायत करते हुये मंगलवार को न्यायालय से कहा कि प्रेस को नियंत्रित करना किसी भी लोकतंत्र के लिये घातक होगा। न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने स्पष्ट किया कि वह मीडिया पर सेन्सरशिप लगाने का सुझाव नहीं दे रहा है लेकिन मीडिया में किसी तरह का स्वतंत्र-नियंत्रण होना चाहिए। पीठ ने टिप्पणी की कि इंटरनेट को नियमित करना मुश्किल है लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नियमन करने की आवश्यकता है।

### ड्रग्स केस में नाम आने के बाद रकुल प्रीत सिंह पहुंची दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच के दौरान अपना नाम सामने आने के बाद अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर आज सुनवाई हुई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की उस याचिका पर आज यानी गुरुवार को केंद्र से जवाब मांगा जिसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती ड्रा मामले से उन्हें जोड़ने वाली मीडिया रिपोर्टों पर रोक लगाने की



मांग की है। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने तारीख 15 अक्टूबर से पहले इस पर फैसला दे देंगे। उच्च न्यायालय ने कहा कि उसे उम्मीद है कि रिया चक्रवर्ती से जुड़े मामले में अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह से संबंधित खबरों में मीडिया संयम बरतेगा। उसने कहा कि वे अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह से संबंधित खबरों को अतिव्यक्त करने से रोकें और सुनवाई की अगली खबरें बनाते वक मीडिया प्रतिष्ठान अपनी

### मुख्तार अंसारी के बाद सांसद अफजाल का मकान भी ध्वस्त होगा क्या? फैसला 21 को

लखनऊ। सांसद अफजाल अंसारी का भी मकान गाटा संख्या 93 पर ही स्थित है जो निष्कांत सम्पत्ति है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से जिला प्रशासन को भेजी गई चिट्ठी के बाद दोबारा पैमाइश कराई गई। इसमें यह तथ्य सही पाया गया। अब जिला प्रशासन की ओर से एलडीए को चिट्ठी का जवाब भेज दिया गया। ऐसे में सांसद के निर्माण पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। क्योंकि निष्कांत सम्पत्ति सरकारी है। इसी जमीन पर कुछ दिन पहले मुख्तार अंसारी के निर्माण को एलडीए ने ध्वस्त कर दिया था। एलडीए में अब इस मामले की सुनवाई 21 सितंबर को होगी। एलडीए की ओर से 14 सितम्बर को पत्र भेजा गया था। इसमें उप जिलाधिकारी के पूर्व में भेजे गए पत्र का हवाला था। इसके अनुसार गाटा संख्या 93 पर अंकित खातेदारों के नाम खरिज कर निष्कांत सम्पत्ति दर्ज करने का आदेश पारित हुआ था। भवन संख्या 21/14 बी के संबंध में वैधानिक कार्रवाई कर निष्कांत सम्पत्ति को सुरक्षित रखने की अपेक्षा की गई है। एलडीए के अनुसार 31 अगस्त को इसी आधार पर इस भवन स्वामी फरहत अंसारी, पत्नी अफजाल अंसारी को नोटिस भेजा गया। जवाब में 14 सितम्बर को फरहत अंसारी की ओर से जवाब भेजा गया। इसमें उनका कहना है कि उनका भवन खसरा संख्या 104 में स्थित है। इसी आधार पर एलडीए ने उप जिलाधिकारी सदर से जवाब मांगा।



सैटेलाइट से पुख्ता किया नक्शा- प्रशासन ने दोबारा पैमाइश कर सैटेलाइट के नक्शे से सॉफ्टवेयर के जरिए मिलान कराया। उसमें भी पाया गया कि जियामऊ डालीबाग स्थित भवन संख्या 21/14 बी गाटा संख्या 93 पर ही स्थित है। यह निष्कांत सम्पत्ति है। यह वो सम्पत्ति है जो बंटवारे के समय पाकिस्तान जा बसे लोगों की थी। इसकी मलकियत अब सरकार की है। एलडीएम सदर सूर्यकांत त्रिपाठी ने बताया कि एलडीए को जवाब भेज दिया गया है।

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री

## माननीय कमलनाथ जी

18 सितम्बर 2020

**दौरा कार्यक्रम**

**ग्वालियर**

(दोपहर) 12.00 बजे

अशोक सिंह तोमर (छोटू भैया) 16 पूर्व ग्वालियर विधानसभा

ग्वालियर से प्रकाशित

# दैनिक पुष्पांजली टुडे

राष्ट्रीय मासिक पत्रिका, ऑनलाइन न्यूज़ चैनल, पोर्टल, एंड्रॉयड ऐप

को

**सम्पूर्ण भारत में नियुक्त करना है**

**ब्यूरो चीफ / रिपोर्ट्स**

मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोआ, कर्नाटक, केरल आदि राज्यों के जिला एवं तहसील स्तर पर मनोनीत करना है।

संपर्क करें  
कार्यालय : ए ब्लॉक, 404 भाऊ साहब पोतनीस एक्वलेव, गोले का मंदिर ग्वालियर मध्यप्रदेश मो. 8269307478, 7999246560

Website - www.pushpanjalitoday.com, Email - pushpanjalitoday@gmail.com











CCA GROUP VENTURES



**CCA** ग्रुप आपके लिए लेकर आये हैं  
जीवन भर के लाभ का सुनहरा मौका,  
मात्र **51,000/-** रुपये देकर तुरंत प्लॉट की रजिस्ट्री करवाएं  
और अपने सपनों का घर बनायें ।



• ANJANI DHAM PHASE 1



• ANJANI DHAM PHASE 2



• ANJANI DHAM PHASE 3



• ANJANI DHAM PHASE 4

रियल एस्टेट इंडस्ट्री में पहली बार CCA ग्रुप लेकर आये हैं  
मात्र 85 RS प्रतिदिन में प्लॉट  
**पहले आएँ पहले पायें**  
ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध

- 0% FINANCE
- NO INTEREST ON EMI'S
- 120 MONTHS EASY INSTALLMENTS

Walk-In with just your bags and step into a new life.  
Hurry! Offer Valid for Last Few Days

**FOR MORE INFO CALL: +91 9294896672**

• Office Address: 2nd Floor, Athena , Patel Nagar, Near SP Office, City Center, Gwalior M.P. - 474001 •



